Date – 16 September 2022

तटीय विनियमन क्षेत्र

तटीय विनियमन क्षेत्र

संदर्भ- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र उल्लंघन के कारण 200 करोड़ के आलीशान होटल को ध्वस्त किया जाएगा।

तटीय विनियमन क्षेत्र-भारत में 7516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। नदी के मुहाने सहित उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और समुद्र किनारे से 100 मीटर क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र कहा जाता है।

- तटीय क्षेत्र के संरक्षण व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1991 में तटीय नियमन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी हुई। इसमें लहरों के तटीय क्षेत्र में जनसंख्या व व्यावसायिक दबाव को कम करना था।
- 2004 की सुनामी के समय पूर्वी तटीय क्षेत्र में लगभग 10000 लोगों की जान गई थी। क्षेत्र में आपदा नियंत्रण के लिए अधिसूचना को 2011 मे संशोधित किया गया। इसके अनुसार तटों को 4 भागों में बांटा गया-

1. CRZ-1 – पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र
2. CRZ-2 – वह क्षेत्र जो तट तक या उसके निकट विकसित किया गया हो
3. CRZ-3 – ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अबाधित है और CRZ 1 या CRZ 2 के अंतर्गत नहीं आता है
4. CRZ-4 – निम्न ज्वार रेखा और समुद्र में 12 समुद्री मील/ज्वार प्रभावित जल निकायों के बीच का क्षेत्र

- सरकार ने 2018 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की।
- शोध के अनुसार आने वाले 50 वर्ष में समुद्र में 15 से 38 सेमी. की वृद्धि के साथ 5763 वर्ग किमी. तटीय क्षेत्रों के समुद्र में समाहित होने की संभावना जताई जा रही है।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018

- यह अधिसूचना भारत के 70 तटीय क्षेत्रों, 66 मुख्य भूमि के जिलों, 4 द्वीप क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के जीवन व आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस अधिसूचना के अंतर्गत तटीय भूमि को 4 भागों में बांटा गया है-
- **CRZ 1 A –** पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र
- **CRZ 1 B –** अंतर ज्वारीय क्षेत्र
- **CRZ 2 –** वह क्षेत्र जो तट तक या उसके निकट विकसित किया गया हो
- **CRZ 3 A-** 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ जनसंख्या घनत्व 2161 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो।
- **CRZ 3 B –** 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ जनसंख्या घनत्व 2161 वर्ग किलोमीटर से कम हो।
- **CRZ 4 A –** निम्न ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील क्षेत्र।
- **CRZ 4 B –** ज्वारीय प्रभाव जल निकाय
- **NDZ –** CRZ 3A क्षेत्र में उच्च ज्वारीय रेखा से 50 मीटर की दूरी और CRZ 3 B क्षेत्र में HTL से 200 मीटर की दूरी पर।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018 तटों में रहने वाले 14% की आबादी के लिए सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले मछवारे हैं। हाल ही में केरल के अलाप्पुझा जिले के पास वेम्बनाड झील में बने आलीशान रिज़ॉर्ट को गिराने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसका 2007 से 2012 में निर्माण हुआ था। निर्माण कार्य के दौरान तटीय विनियमन क्षेत्र का उल्लंघन किया गया। जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

गुंजन जोशी

असम के 8 आदिवासी समुदाय का केंद्र के साथ समझौता

असम के 8 आदिवासी समुदाय का केंद्र के साथ समझौता

भारत में लगभग 700 अनुसूचित आदिवासी समुदाय है, जो इतिहास में जल, जंगल जमीन के लिए संघर्ष करते दिखाए गए हैं। जैसे – असम के बिरसा मुण्डा। असम में एसे ही कई आदिवासी समुदाय हैं जो वर्षों से सरकार के साथ संघर्षरत हैं। संघर्षों व विवाद के कारण वे विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं।

असम के आदिवासी समुदाय-

असम की आबादी मंगोलियाई, इंडो बर्मी, इंडो ईरानी और आर्य मूल का एक व्यापक अंतर मिश्रण है। असम की प्रमुख जनजातियाँ बोडो, कार्बी, मिशिंग, सोनोवाल, कचारी, देवरी, राभास, दिमासा, तिवारी, ताई फेक, समंगपो, कुकी, खेलमा, चाय जनजाति हैं।

वर्षों से असम में आदिवासी समुदाय अपने समुदाय व संस्कृति को बचाने के लिए हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त रहे हैं जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

आदिवासी समुदायों का भारत सरकार के समक्ष समर्पण–

- गुवाहाटी में विभिन्न संगठनों ने 23 जनवरी 2021 को आत्मसमर्पण किया।तथा 177 हथियार, 52 ग्रेनेड, 71 बंम, 3 रॉकेट लांचर, 306 डेटॉनेटर, 1.93 किग्रा विस्फोटक व 1686 किग्रा विस्फोटक जमा करवाए गए।

1. रावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट
2. कम्यूनिस्ट पारटी ऑफ इंडिया
3. राष्ट्रीय संथाल लिबरेशन आर्मी
4. आदिवासी ड्रैगन फआइटर
5. नेशनल लिबरेसन फ्रंट ऑफ इंडिया

- इसी प्रकार कार्बी समूह के 1040 कैडर्स ने फरवरी 2021 में आत्मसमर्पण कर दिया।
- 27 जनवरी 2022 को 708 भूमिगत कैडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जो निम्न संगठन से संबंधित थे-

1. यूनाइटेड गोरखा पिपल्स ऑर्गेनाइजेशन
2. तिवा लिबरेसन आर्मी

3. राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट
4. आदिवासी ड्रैगन फ्रंट
5. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगाली
6. नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी

संदर्भ- हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थायी शांति स्थापना के लक्ष्य के साथ असम के 8 आदिवासी समुदायों के साथ त्रिपक्षी समझौता किया जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समुदाय शामिल थे।

- **ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी** का गठन 2006 में हुआ था।
- इनके पूर्वजों को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा उत्तर भारत से लाया गया था।
- यह चाय बागान श्रमिक जनजाति के लिए लड़ने का दावा करते हैं।
- संगठन आदिवासी समुदाय के लिए अदिवासी जनजाति का दर्जा और संस्थान आदिवासी विस्थापित सदस्यों के लिए पुनर्वास की मांग करता है।
- कार्बी आंगलोंग व गोलाघाट संगठन का कार्यक्षेत्र है।

आदिवासी कोबरा मिलिटेण्ट ऑफ असम, भारत के नीचले असम में एक उग्रवादी समूह था।

- जिसका उद्देश्य सशस्त्र युद्ध के माध्यम से समुदाय की रक्षा करना है।
- संथालों ने अपने हितों की रक्षा के लिए नागा जातियों के साथ 7 जुलाई 1996 को संगठन स्थापित किया।
- यह समूह कोकराझार और बोंगाईगांव क्षेत्र से संचालित होता था।

बिरसा कमांडो फोर्स का गठन 1997 में हुआ था।

- इसका उद्देश्य एक अलग आदिवासी भूमि और एक अलग आदिवासी जनजाति का दर्जा हासिल करना था।
- इसके साथ ही समुदाय के लिए सुरक्षा की मांग करना।
- 2004 से संघर्ष विराम की स्थिति में था।

संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पिपुल्स आर्मी- एक दशक पहले बोडो आदिवासियों ने झारखण्ड से असम आने वाले संथाल आदिवासियों को मारना शुरु कर दिया ऐसी परिस्थिति में असम के संथाल आदिवासियों ने संथालियों की रक्षा के लिए संगठन बनाना शुरु किया।

आदिवासी समुदायों के साथ समझौतों का प्रावधान-

- समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान की रक्षा करना।
- गाँवों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 साल में 1000 करोड़ क विशेष पैकेज।

- राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना।
- आदिवासी गांवों के चाय बागानों का त्वरित विकास करना.
- आदिवासी विकास व कल्याण परिषद की स्थापना करना।
- केंद्र व असम सरकार द्वारा सशस्त्र समूहों के कैडरों के पुनर्वास और चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रयास करना।

गुंजन जोशी